न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

प्रकरण संख्याः- 15/2018 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00599),

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

महाराम पुत्र रमला जाति लोधा निवासी ग्राम कुचावटी तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

-प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 539/0.02, 540/0.57,वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग में स्थित है। साविक आराजी खसरा नम्बर 751/2-11मिन व 752/4-3 वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग पूर्व में वादी के पिता रमला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादी के पिता रमला पुत्र रामस्वरूप का कब्जा काश्त काफी पुराने समय से चला आ रहा था और वादी के पिता रमला पुत्र रामस्वरूप के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर गैर खातेदार अंकित था। हाल बन्दोवस्त में उक्त साविक नम्बरान की भूमि से नवीन विवादित आराजी खसरा नम्बरान 540/0.57, व 539/0.02 बनाये गये है जिन पर मुताविक साविक वादी के पिता का कब्जा चला आ रहा था और बन्दोवस्त हाल में उक्त विवादित नम्बरान वादी के पिता के नाम ही राजस्व रिकार्ड में अंकित आये थे। वादी के पिता की अरसा 20 साल पूर्व मृत्यु हो गई है और पिता की मृत्यु के बाद से वादी उक्त विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त वाहैसियत खातेदार काश्तकार है और वादी अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और वादी अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के व राजस्व रिकार्ड में अंकित करा पाने का अधिकारी है। हाल बन्दोवस्त में राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रमला के ही नाम मुताविक साविक रिकार्ड सही दर्ज आये थे लेकिन गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून उक्त विवादित नम्बरान 539 व 540 को सम्वत 2046 में मकबूजा सरकार सिवायचक बारानी व गैर मुमकिन दर्ज कर दिया है जो गलत और बिना किसी सक्षम आदेश के सिवायचक बारानी व गैर मुमकिन अंकित किया गया है। जबकि उक्त आराजी मुत0 पर वादी के पिता का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा था और विवादित आराजी को मकबूजा सरकार अंकित करने का प्रति0 को कोई अधिकार नहीं था तथा पिता की मृत्यु के बाद से वादी बतौर वारिस बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है इसके बाद गलत तरीके पर विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 540/0.57 को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति ने बाबू पुत्र दुरजन व इमरता पत्नी बाबू जाति हरीजन निवासी ग्राम कुचावटी तहसील डीग को एलॉट कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादी ने उक्त आदेश एलॉटमेंट दिनांक 27.06.2002के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग में वादी द्वारा अपील पेश की गई जिसकी अपील संख्या 13/2002 थी और जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2003 के द्वारा वादी की अपील संख्या 13/2002 को स्वीकार किया और आदेश एलॉटमेंट दिनांक 27.06.2002 को निरस्त कर दिया और विवादित आराजी खसरा नम्बर 540 राजस्व रिकार्ड में मकबूजा सरकार सिवायचक बारानी व खसरा नम्बर 539 को गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जा रहा है जो गलत तथा वातिल एवं बेअसर करा दिया जाकर काबिले कलमजन है। अतः निवेदन है कि वादी आराजी खसरा नम्बर 539/0.02 व 540/0.57 वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज मकबूजा सरकार सिवाययक एवं बारानी व गैर मुमकिन अंकित किया जा रहा है को वातिल एवं बेअसर करार दिये जाकर कलमजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी का दावा रिकार्ड से साबित नहीं होने पर दिनांक 13.06.2016 को खारिज किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.05.2017 से दावा रिमाण्ड होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर दिनांक 22.01.2018 को दावे को दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्देशानुसार सुनवाई प्रारम्भ की गई। दावे में जबाव दावा पूर्व से ही पत्रावली में संलग्न है तो ऐसी स्थिति में दिनांक 22.06.2022 को तनकीयात प्रस्तावित होने पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 539/0.02, 540/0.57 वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादी में वादी महारान का दिनांक 18.08.2022 को शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर पीडब्ल्यू-1 में वादी महारान के दिनांक 04.03.2024 को बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 09.04.2024 को साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह पेश किया गया। दिनांक 05.06.2024 को साक्ष्य वादी बंद की गई।

पैरोकार सरकार तहसीलदार डीग के द्वारा दिनांक 01.05.2025 को लिखित बहस पेश की गई। तवकील वादी के द्वारा दिनांक 26.05.2025 को अपनी मौखिक बहस पेश की गई।

वकील वादी ने वादपत्र अनुसार बहस में कथन करते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। दिनांक 26.05.2025 को पैरोकार सरकार ने लिखित बहस में कथन किया कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 539/0.02, 540/0.57 वाके ग्राम कुचावटी पर हो रहे इन्द्राजात मकबूजा सरकार को कलमजन कर खातेदार कातश्कार घोषित किये जाने का स्वत्व घोषणा का दावा दायर किया है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 539/0.02 को साविक खसरा नम्बर 751 मिन से खसरा नम्बर 540/0.55 को साविक खसरा नम्बर 751 मिन 3 वीघा, 752मिन 4 वीघा से बनना दर्शाया गया है। मिलान क्षेत्रफल तथा रकबा भी अलग अलग है। जिस पर प्रदर्श-6 दर्ज है। वादी द्वारा साविक खसरा नम्बर 751 मिन, 752 मिन का सम्पूर्ण रकबा की नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर पेश करने चाहिए थे। वादी द्वाररा जमाबन्दी सम्वत 2022 लगायत 2025 के खाता संख्या 186 में साविक खसरा नम्बर 751 का रकबा 2 वीघा 11 विस्वा, 752 का रकबा 4 वीघा 3 विस्वा दर्ज है। जवकि मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खसरा साविक 751 मिन का रकबा 3 वीघा व 752 मिन का रकबा 4 वीघा दर्ज है जो जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के रकवे में भिन्नता है। इसी प्रकार उक्त जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज है इसके वाद मिसिल बन्दोवस्त सम्वत 2041 के खाता संख्या 210 में रमला वल्द रामफल कॉम लोधा सा.देह खातेदार दर्ज है। खातेदार किस प्रकार दर्ज हुआ ना कोई आदेश ना कोई जमाबन्दी का रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 41 किस आदेश दिनांक 10.06.1987 से खसरा नम्बर 539/0.02, 540/0.57 से मकबूजा सरकार सिवायचक दर्ज स्वीकार हुआ है। इसके बाद खसरा नम्बर 540/0.57 नामा0 संख्या 1255 से आदेश श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक /राजस्व/12/2(96) 2021/ 310 दिनांक 07.12.2021 से सिवायचक से क्षतिपूर्ति के रूप में चारागाह के रूम में दर्ज है। उक्त आराजी चारागाह,सिवायचक भूमि होने के कारण खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है एवं कानूनी प्रावधान के विपरीत है। हमारी रिपोर्ट तहसीलदार डीग दिनांक 10.01.2025 में खसरा नम्बर 539 गै.मु.एवं खसरा नम्बर 540 चारागाह कुचावटी में स्थित है तथा मौके पर दोनों खसरा नम्बर पर सरसों की फसल की वुवाई हो रखी है। जिन पर अतिक्रमण रिपोर्ट धारा 91 की हुई है।

हमने वादी के वादपत्र पैरोकार सरकार के जबाव दावे गवाह पीडब्ल्यू-1 वादी महारान के बयान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

प्रदर्श-पी-1, प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 12.05.2017 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर उनवानी महारान बनाम सरकार अपील संख्या 45/16 निर्णय दिनांक 12.05.2017 जिसमें माननीय न्यायालय ने पत्रावली अधि0 न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रत्यर्थी के जबाव का समुचित अवसर देते हुए वाद तामील एवं तनकीयात एवं साक्ष्य निर्णय पारित किया जावे। यदि युक्तियुक्त समस्या में प्रत्यर्थी जबाव पेश नहीं करता है तो जबाव बंद करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे आदेशित किया है।

प्रदर्श-पी-2, उपखण्ड अधिकारी न्यायालय डीग के मु.नम्बर 151/2011 अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट, महारान बनाम तहसीलदार डीग की डिक्री है। जिसमें वादी का दावा सावित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

प्रदर्श-पी-3, प्रमाणित नकल अपील संख्या 13/2002 महारान बनाम बाबू न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर निर्णय दिनांक 07.05.2002 अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग दिनांक 27.06.2002 जिसमें अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 27.06.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

प्रदर्श-पी-4, प्रमाणित नकल मिसल हकीयत सम्बत 2040 ग्राम कुचावटी जिसमें खाता संख्या 210 के कॉलम नम्बर 4 में नाम कृषक रामला वल्द रामफल कॉम लोधा सा0देह खातेदार खसरा नम्बर 539 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. खड्डा खसरा नम्बर 540 रकबा 0.57 बारानी प्रथम दर्ज है।

प्रदर्श-पी-5, जमाबन्दी सम्बत 2066-2069 ग्राम कुचावटी में खसरा नम्बर 540/0.57 किस्म बारानी सिवायचक दर्ज है। खसरा नम्बर 539/0.02 गै.मु. साड तथा साजड वाले वन,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-पी-6, भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 539/0.02 रकबा 751 मिन सावक खसरा नम्बर तथा हाल खसरा नम्बर 540/0.57 सावक खसरा नम्बर 751मिन रकबा 3 वीघा,752 मिन रकबा 4 वीघा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-पी-7, जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 ग्राम कुचावटी जिसके सावक खसरा नम्बर 751 रकबा 2 वीघा 11 विस्वा,सावक खसरा नम्बर 752 रकबा 4 वीघा 3 विस्वा, रमला पुत्र रामफल कॉम लोधी साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-पी-8, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 539/0.02 गै.मु.खड्डा खसरा नम्बर 540 रकबा 0.57 बारानी प्रथम सरकारी मिलकियत खाता सिवायचक दर्ज है।

प्रदर्श-पी-9, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 ग्राम कुचावटी सरकारी खाते की नकल है। जिसमें खसरा नम्बर पठनीय नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः-

<u>तनकी संख्याः-1,</u> आया वादी आराजी खसरा नम्बर 539/0.02, 540/0.57 वाके ग्राम कुचावटी तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है।

प्रदर्श-ए-1, नकल नामान्तरकरण संख्या 1255 दिनांक 24.01.2022 ग्राम कुचावटी जिसमें खसरा नम्बर 540/0.57 को चालू पडत सिवायचक से जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के आदेश से चारागाह क्षतिपूर्ति में चारागाह दर्ज किया गया है।

प्रदर्श-ए-2,नकल नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 01.06.1987 उपखण्ड अधिकारी डीग के आदेश क्रमांकः राज0/1189 दिनांक 21.04.1987 से खसरा नम्बर 539/0.02 खसरा नम्बर 540/0.57 रमला वल्द रामफल कॉम लोधा सा.देह खातेदार रहिन भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डीग से सिवायचक मकबूजा सरकार दर्ज किया गया है। प्रदर्श 1,2,3, वादपत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व विचाराधीन रहे प्रकरण संख्या 151/2011, अपील संख्या 45/16,अपील संख्या 13/2002में पारित निर्णय एवं डिक्री है। जिनके द्वारा प्रकरण खारिज होकर उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है।

प्रदर्श-7, जमावन्दी सम्बत 2022 से 2025 ग्राम कुचावटी के सावक खसरा नम्बर 751/2 वीघा 11 विस्वा,सावक खसरा नम्बर 752 रकबा 4 वीघा 3 विस्वा रमला पुत्र रामफल कॉम लॉधी साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-6,भू-प्रवंध मिलान क्षेत्रफल है। जिसमें सावक खसरा नम्बर 751 व 752 से हाल खसरा नम्बर 539/0.02, 540/0.57 का बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-4, नकल मिसल हकीयत सम्वत 2040 ग्राम कुचावटी है जिसके खसरा नम्बर 539/0.02, खसरा नम्बर 540/0.57 में रमला वल्द रामफल को खातेदार दर्ज किया गया है। जोकि वादीगण के पक्ष में है। लेकिन वादी के पिता को खातेदारी कैसे मिली उसका कोई साक्ष्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-5, जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 प्रदर्श-8 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 में वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि दर्ज है।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रदर्शित साक्ष्य ए-1 नामान्तरकरण संख्या 1255 दिनांक 24.01.2022,प्रदर्श-ए-2 नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 01.06.87 में उन न्यायालय आदेशों का वर्णन हैं। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक चारागाह दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 539 गै.मु.खड्डा है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जो आवंटन योग्य नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के आदेश से सिवायचक दर्ज की गई है। खसरा नम्बर 540 प्रदर्श-ए-1 द्वारा सिवायचक से चारागाह दर्ज की गई है।

प्रदर्श-5, जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 प्रदर्श-8 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 540/0.57 सिवायचक भूमि दर्ज है। उक्त विवरण अनुसार तनकी संख्या 01 विरूद्व वादी, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-2,</u> दादरसी?

उभय पक्ष अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

उपर्युक्त विरण अनुसार हम दावा वादी साक्ष्य के अभाव में एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88-89, आर.टी.एक्ट दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने तथा साक्ष्य के अभाव में एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner